

फर्द अहकाम

रणवीर

बनाम लालराम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 180/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/10/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. महत्व क्षेत्र/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं हो पा सकी। पत्रावली दिनांक...11/12/23...को पेश हो।
11/12/23		पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित प्रतिकारी सं. 4 की ओर से प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्सेज को जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्सेजत हेतु दिनांक 18/12/23 को पेश हो। <u>lml</u>
18/12/23		पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रतिकारी सं 4 द्वारा प्रस्तुत एवं वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्सेजत प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी। पत्रावली वाले आदेश आपत्ति कुर्सेजत प्रार्थना पत्रों हेतु दिनांक 28/12/2023 को पेश हो। <u>lml</u>
	28/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित/ कार्य समाप्त करने के कारण कार्यवाही नहीं हो पा सकी। पत्रावली दिनांक...09/01/2024...को पेश हो।
09/01/24		पत्रावली वाले आदेश पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। आपत्ति कुर्सेजत प्रार्थना पत्रों पर पूर्व से बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थना पर दौरान बहस <u>lml</u>

फर्द अहकाम

रणद्वीर

बनाम लालाराम

लय : सहायक कलक्टर, बस्सी


प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 180/2019

क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------------	----------------------	-------------

जाद्वीर तर्जों पर मनन करने के उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्जेजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्जेजात स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव सं- 2 (दो) निरस्त किया जाकर मुताबिक तहसीलदार बस्सी विभाजन प्रस्ताव संख्या 1 (एक) दिनांक 15.11.2022 का अनुमोदन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव सं- 1 (एक) के अनुसार वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृष्ठ से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली रहै। बाद अनुमोदन कुर्जेजात व नम्बरी तहसीलदार बस्सी को भेजे जावे। डिक्री पचा जारी हो इस आशय की तर्ज जारी हो।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09/01/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

संशोधित डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. रणधीर सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी सुजातनगर तह. कोटपुतली जिला जयपुर		1. लाला पुत्र सीताराम 2. गणेश पुत्र सीताराम 3. तीजा बेवा सीताराम
2. रतन कुमार जैन पुत्र स्वरूप चन्द जैन जाति जैन निवासी बी- 307 सिटी पैलेस नारायण सिंह सर्किल जयपुर		समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम जगतपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी तारो की कूट टोंक रोड जयपुर।
3. मोहित कुमार जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन जाति जैन निवासी ए-6 इन्द्रपुरी लालकोठी जयपुर।		4. नानगराम पुत्र गोपाल लाल जाति मीणा निवासी ए 1 आमलीवाली कोठी सूर्यनगर, एयरपोर्ट जयपुर। 5. तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर। 6. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधि. 1955

मु0न0 180/2019 विविध 03/24

निर्णय दिनांक 02.02.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 09.01.2024 में संशोधन किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि में तीजा पत्नि सीताराम हिस्सा 1/3 व लाला पुत्र सीताराम का हिस्सा 1/3 के स्थान पर तीजा पत्नि सीताराम हिस्सा 1/9 व लाला पुत्र सीताराम का हिस्सा 1/9 पढा जावें।.....निजी.....
मुबलिक.....बाबत.....खर्चाइस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 02.02.2024 को जारी किया गया।

मुहर




दस्तख्त...
ओहदा...बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		

स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
---	--	--	---	--	--

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण